Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ सिरोही में लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, अनादरा, पंचायत रेवदर, जिला सिरोही 1,00,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 04, मार्च, 2026 बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सिरोही इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, अनादरा, पंचायत रेवदर, जिला सिरोही** व उसके पुत्र **श्री अखिलेश कुमार** को परिवादी के आवासीय प्लॉट पर निर्माण स्वीकृति जारी करने एवं ग्राम पंचायत की सीसी रोड़ क्षतिग्रस्त होने पर कार्यवाही नहीं करने की एवज में **एक लाख रूपये** लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक, श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही चौकी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के ग्राम आमला खेड़ा, ग्राम पंचायत अनादरा में अपनी पत्नी के नाम से आवासीय भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति जारी करने एवं परिवादी द्वारा अपने आवासीय भूखण्ड के सीमांकन के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में निर्मित सीसी सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं करने की एवज में लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अनादरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही द्वारा 1,00,000/– रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेन्ज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक श्री भुवन भूषण यादव** के निकट पर्यवेक्षण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामेश्वरलाल** के नेतृत्व में आज कार्यवाही करते हुए आरोपी लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, अनादरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही द्वारा अपने पुत्र अखिलेश कुमार को परिवादी से उसके जायज कार्य के एवज में 1,00,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) रिश्वत प्राप्त कर उसके पुत्र को मौके से भगा दिया गया। जिस पर मनोवैज्ञानिक तरिके से तसल्ली पूर्वक पूछताछ उपरांत आरोपी ग्राम विकास अधिकारी की सहायता से सह आरोपी उसके पुत्र अखिलेश कुमार की निशांदेही पर उनकी कॉलोनी के खाली प्लॉट में गाड़ी हुई रिश्वती राशि एक लाख रूपये बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।